



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 76/2002

अपीलार्थी - अमूल्य सिरदार उर्फ अमूल्य सरदार, आयु लगभग 60 वर्ष, पिता भीम सरदार, निवासी पी.वी. क्रमांक 122, थाना पंखाजूर, जिला कांकेर।

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कांकेर।

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मीनू बनर्जी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री डी.के. ग्वालरे, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 16.05.2007)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

सुना गया।

यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कांकेर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2001 में दिनांक 22.11.2001 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 20 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश दिया है।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री एक ही क्षेत्र के निवासी हैं। अपीलार्थी, अभियोक्त्री का पड़ोसी है। अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 07/09/2000 को अभियोक्त्री के माता-पिता घर पर उपस्थित नहीं थे। वह अपने घर में अपनी बड़ी बहन गंगा तथा छोटी बहन प्रतिभा के साथ थी। लगभग दोपहर 12:00 बजे अपीलार्थी उनके घर आया और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसने अभियोक्त्री को अपने पास बुलाया और उसके अंतःवस्त्र उतार दिए तथा अपने भी निचले वस्त्र उतारकर अभियोक्त्री को अपनी गोद में बैठाया और अंततः उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियोक्त्री की योनि से रक्तस्राव हुआ, जिससे उसका अंतःवस्त्र रक्त से सना गया, जिसे उसने बाद में पहन लिया। इसके पश्चात अपीलार्थी घटना स्थल से चला गया। कुछ समय बाद जब अभियोक्त्री के माता-पिता खेत से लौटे, तो अभियोक्त्री ने उन्हें पूरी घटना बताई। उसी रात पंचायत बुलाई गई और अंततः 7 व 8 सितम्बर 2000 की मध्यरात्रि में अभियोक्त्री की माता गुलापी गयिन (अ.सा.-2) द्वारा संबंधित थाना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./1) दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने के बाद अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ डॉ. (श्रीमती) किरणलता ठाकुर ने उसका परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी./6-क) तैयार की। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि लड़की कम आयु की थी, उसके द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं हुए थे, बगल एवं जननांग के बाल तथा स्तन भी विकसित नहीं थे। उन्होंने अभियोक्त्री के बाएँ गाल पर एक खरोंच पाई। आंतरिक परीक्षण में चिकित्सक ने पाया कि अभियोक्त्री का हाइमन हाल ही में फटा हुआ था तथा फटे हुए हाइमन के किनारों पर सूजन उपस्थित थी और हल्का रक्तस्राव भी हो रहा था। उसकी योनि में मुश्किल से छोटी उंगली केवल सिरों तक ही प्रवेश कर पा रही थी। उन्होंने अपनी राय दी कि लड़की के साथ सम्भवतः यौन संबंध स्थापित किया गया है। इसके पश्चात् अभियुक्त को दिनांक 10/09/2000 को गिरफ्तार किया गया तथा उसका भी चिकित्सीय परीक्षण डॉ. देवेन्द्र तुरे (अ.सा.-7) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्र.पी./8) में यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्त शारीरिक रूप से यौन संबंध



स्थापित करने में सक्षम था। विवेचन के दौरान विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर भी जब्त किया गया (प्र.पी./4) तथा उसकी प्रति (प्र.पी./7) प्राप्त की गई। उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 07/07/1992 थी तथा उसे 28/07/1995 को कक्षा-1 में प्रवेश दिया गया था। उसका नाम उक्त रजिस्टर में क्रमांक 305 पर दर्ज था।

सामान्य विवेचन पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग-पत्र संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया तथा अंतरण पर यह प्रकरण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कांकेर (छत्तीसगढ़) के समक्ष आया, जिन्होंने अंततः विचारण पूर्ण कर दिनांक 22/11/2001 को आक्षेपित निर्णय पारित किया। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध ही अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्यतः अभियोक्त्री जामुना गायन (अ.सा.-1) के कथन पर आधारित है, जिसे उसकी माता गुलापी गायन (अ.सा.-2) तथा डॉ. (श्रीमती) किरणलता ठाकुर (अ.सा.-4) के साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य में अनेक विरोधाभास एवं विसंगतियाँ हैं, अतः उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को निरस्त किया जाना चाहिए।


इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय का समर्थन करते हुए अपील को खारिज किए जाने का आग्रह किया है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र विचारण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

जहाँ तक अभियोक्त्री की आयु का संबंध है, इस संबंध में दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रथम साक्ष्य उसकी माता गुलापी गायन (अ.सा.-2) का है, जिन्होंने अपने

अभिसाक्ष्य के कंडिका 2 में कहा है कि उनकी पुत्री जमुना गायिन की आयु लगभग 8 वर्ष थी। वह पी.वी. क्रमांक 122, पंखाजूर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा द्वितीय में अध्ययनरत थी। वह अपनी बड़ी बहन गंगा से छोटी थी, जो उसी विद्यालय में कक्षा चतुर्थ में पढ़ती थी। उन्होंने यह भी कहा कि जमुना, गंगा से लगभग 2 वर्ष छोटी थी। द्वितीय साक्ष्य विद्यालय अभिलेख में अंकित जन्मतिथि से संबंधित है। इस संबंध में अभियोजन ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री डी.एस. भास्कर (अ.सा.-5) को परीक्षित किया है। उन्होंने कथन दिया कि वे वर्ष 1986 से उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर (प्र.पी./7) के क्रमांक 305 पर अभियोक्त्री के प्रवेश का विवरण अंकित है, जिसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 27/7/1992 है। माता के साक्ष्य तथा विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की प्रविष्टि—दोनों को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अतः आयु के संबंध में इन दोनों साक्ष्यों की विश्वसनीयता अक्षुण्ण है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी./6-A), जिसे डॉ. (श्रीमती) किरणलता ठाकुर ने तैयार किया, से भी यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण की तिथि 08/09/2000 को अभियोक्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हुए थे, उसके बगल एवं जननांग के बाल तथा स्तन विकसित नहीं थे। चिकित्सकीय रूप से उसकी आयु लगभग 7 वर्ष आंकी गई। इसके अतिरिक्त, सत्र न्यायालय द्वारा 24/04/2001 को अभियोक्त्री के परीक्षण के समय उसकी आयु लगभग 8 वर्ष आंकी गई। इस प्रकार, अभियोक्त्री की आयु संबंधी दोनों प्रकार के साक्ष्य, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा सत्र न्यायालय के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 7-8 वर्ष थी, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 9 में सही रूप से निर्धारित किया है।

घटना के संबंध में साक्ष्य की दृष्टि से, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने न्यायालय के समक्ष यह अभिकथन दिया कि घटना वाले दिन जब वह अपनी छोटी बहन प्रतिभा के साथ अपने घर के बरामदे में खेल रही थी, तभी अपीलार्थी वहाँ आया और उसने उसका अंतःवस्त्र उतार दिया तथा अपने भी निचले वस्त्र उतारकर उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। इस



दौरान उसे अत्यधिक पीड़ा हुई और उसकी योनि से लाल-काले रंग का द्रव (रक्त) निकलने लगा। सने यह भी बताया कि उस समय अपीलार्थी ने उसका मुँह दबा दिया था। घटना के समय उसकी बड़ी बहन गंगा घर में सो रही थी और अपीलार्थी के घटना स्थल से चले जाने पर वह जाग गई। गंगा के जागते ही अभियोक्त्री ने उसे पूरी घटना बताई। तत्पश्चात, जब उसकी माता लगभग आधे घंटे बाद घर लौटी, तब उसकी छोटी बहन प्रीतिभा ने उन्हें घटना के संबंध में बताया। इस पर माता ने अभियोक्त्री से पूछताछ की, और अभियोक्त्री ने उपरोक्त तथ्यों का अपनी माता के समक्ष खुलासा किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान, यद्यपि गणेश राम द्वारा चोट पहुँचाने के संबंध में कुछ सूक्ष्म विरोधाभास पाए जाते हैं, तथापि इस बिंदु पर अभियोक्त्री का साक्ष्य अक्षुण्ण रहता है कि उक्त दिनांक एवं समय पर अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया गया, जिसके कारण उसके गुप्तांगों पर चोटें आईं। अभियोक्त्री ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव का खंडन किया कि अपीलार्थी ने उसके गुप्तांग में अपने लिंग का प्रवेश नहीं कराया।

अभियोक्त्री की माता, गुलापिन गायिन (अ.सा.-2), ने भी अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में यह कथन किया है कि उक्त दिनांक को लगभग दोपहर 2:00 बजे, जब वह खेतों से वापस घर लौटी, तब उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अपीलार्थी उनके घर आया था और उसका अंतःवस्त्र हटाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात लगभग 3:00 बजे उसका पति घर आया, तो उसने उसे उक्त घटना की जानकारी दी। इसके बाद, गाँव में इस विषय पर क्या किया जाए, इस हेतु पंचायत बुलाई गई और तत्पश्चात उसी रात्रि में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई।

उपर्युक्त साक्ष्य के संबंध में, प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके कथन की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचाया जा सके। डॉ. (श्रीमती) किरणलता ठाकुर, जिन्होंने दिनांक 08/09/2000 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया था, ने अपने प्रतिवेदन को प्रदर्श पी/6-क के रूप में प्रमाणित किया। जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, उनके अनुसार अभियोक्त्री के बाएँ गाल पर एक खरोंच थी

और इसके अतिरिक्त कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई। तथापि, आंतरिक परीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री का हाइमन हाल ही में फटा हुआ था, जिसके फटे हुए किनारों पर सूजन उपस्थित था तथा हल्का रक्तस्राव भी पाया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लघु विसंगतियों के आधार पर अभियोक्त्री के साक्ष्य को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सूक्ष्म विसंगतियों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। ऐसी विसंगतियाँ, जो मामले के मूल तक नहीं जातीं और साक्षियों के मूल रूप को प्रभावित नहीं करतीं, उन्हें अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्त महत्वपूर्ण "संभाव्यता-कारक" साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कथन के पक्ष में हो। इस संदर्भ में भरवाडा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1983

एससी 753 का अवलंब लिया जा सकता है।

यह भी समान रूप से स्थापित है कि जब अभियोक्त्री अथवा किसी साक्षी का कथन न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है और न्यायालय अभियोक्त्री के साक्ष्य पर निर्भर होना उचित समझता है, तब अभियोजन का दोषसिद्धि आदेश केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी किया जा सकता है, जिसके लिए किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। एकमात्र साक्षी के साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत बलात्कार पीड़िता के मामलों में भी समान रूप से लागू होता है। न तो विधायिका और न ही न्यायपालिका यह अनिवार्य करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या आवश्यक हो। हमारी विधि-व्यवस्था ने सदैव साक्ष्य की संख्या या बहुलता के स्थान पर उसकी गुणवत्ता, महत्व एवं विश्वसनीयता पर बल दिया है। इन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए *नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2007 एससीडब्ल्यू 1835* के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सक्षम न्यायालय के लिए यह पूर्णतः खुला है कि वह एकमात्र साक्षी के साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास कर दोषसिद्धि कर सके। इसके विपरीत, यदि साक्ष्य की गुणवत्ता से न्यायालय संतुष्ट नहीं है, तो वह अनेक साक्षियों के साक्ष्य होने के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त भी

कर सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एकमात्र चक्षुदर्शी के होने के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती—यह मात्र कथन निराधार है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी स्मरणीय है कि बलात्कार पीड़िता की स्थिति एक आहत साक्षी के समतुल्य होती है तथा यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य आहत साक्षी के साक्ष्य के समान माना जाता है। जिस प्रकार कोई आहत साक्षी सर्वोत्तम साक्षी माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को बचाने की संभावना अत्यंत कम होती है, उसी प्रकार यौन अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को, संपुष्टि के अभाव में भी, अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस संदर्भ में **भरवाडा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1983 एससी 753** का अवलंब लिया गया है, जिसे **तमिलनाडु राज्य बनाम रवि @ नेहरू, 2006 (7) एसबीआर 264** में, लगभग 4-5 वर्ष की आयु की बलात्कार पीड़िता के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया है।

यदि उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में पीड़िता के साक्ष्य का परीक्षण किया जाए, तो यह प्रतीत होता है कि उसका साक्ष्य इस बिंदु पर अक्षुण्ण है कि घटना के दिन यह अपीलार्थी उसके घर आया और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कि लड़की के माता-पिता घर पर उपस्थित नहीं थे, उसने पीड़िता के साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके निजी अंगों पर चोटें आईं। यह भी निर्विवाद है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम थी और विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। इतना ही नहीं, उसके साक्ष्य की पुष्टि उसकी माता के साक्ष्य तथा चिकित्सक के साक्ष्य से भी होती है।

अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

सही/-



सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

